DPCC

प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार)

5वीं मंजिल, आई.एस.बी.टी. बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

हमें यहाँ देखें: http://dpcc.delhigovt.nic.in

सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में **प्लास्टिक थैलियाँ, पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक थैलियाँ, बहुस्तरीय पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण के सभी उत्पादकों, आयातकों, ब्राण्ड-मालिकों (पी.आई.बी.ओ.), रिसाइकलर्स और निर्माता।**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 को अधिसूचित किया है और ये नियम कचरा उत्पन्न करने वालों, अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं और प्लास्टिक थैलियाँ व बहुस्तरीय पैकेजिंग सामग्री के निर्माताओं पर लागू होंगे।

इन नियमों के अनुसार, सभी व्यक्ति जो किसी भी रूप में प्लास्टिक/प्लास्टिक कचरे को उत्पन्न, एकत्र, संग्रह, परिवहन, पुनः उपयोग, रिसाइकल और निपटान करते हैं जिनमें आयातक, निर्माता, व्यक्ति या एजेंसियां शामिल हैं, व्यक्तियों के समूह स्वेच्छा से लगे हुए या अधिकृत हैं। उन्हें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के तहत पंजीकरण प्राप्त करना तथा जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियत्रंण) अधिनियम, 1981 के तहत परिचालन की सहमति लेना अनिवार्य है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियमों, 2018 के 4(1)(सी) के नियम के अनुसार विशुद्ध या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बनी थैलियों की **मोटाई पचास माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।** हालांकि, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियमों, 2021 के 4(1)(सी) के नियम में 12.08.2021 को अधिसूचित आगामी संशोधनों के अनुसार, जो विशुद्ध या पुनःचक्रित प्लास्टिक से बनी थैलियों की मोटाई **30 सितम्बर 2021 से पचहत्तर (75) माइक्रोन से कम और 31 दिसम्बर, 2022 से उनकी मोटाई एक सौ बीस (120) माइक्रोन से कम नहीं होगी। इसके अलावा, गैर-बुनी (नॉन-वोविन) प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई 30 सितम्बर, 2021 से 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जी.एस.एम.) से कम नहीं होगी।**

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 का नियम 9 के अनुसार, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों (पी.आई.बी.ओ.) को उनके द्वारा बाजार में पेश किए गए उत्पादों के कारण उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) को पूरा करना होगा। पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए उत्पादक/आयातक/ब्रांड-मालिक की ईपीआर जिम्मेदारी उत्पाद के उनके जीवनकाल के समापन तक के लिए है।

पी.आई.बी.ओ. को सी.पी.सी.बी. से पंजीकरण प्राप्त करना है, यदि दो से अधिक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रचालित हैं और यदि केवल एक या दो राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश में प्रचालित हैं तो उसे संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी से प्राप्त करना होगा। सीपीसीबी ने मार्च, 2021 में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है, जो सी.पी.सी.बी. और डी.पी.सी.सी. की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। पी.आई.बी.ओ. को उनके द्वारा पेश किए गए उत्पादों के कारण उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए ईपीआर को पूरा करने के लिए उक्त एसओपी का पालन करना होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्लास्टिक की थैलियों, पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक थैलियों, बहुस्तरीय पैकेजिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रसंस्करण के सभी उत्पादकों, आयातकों, ब्राण्ड मालिकों (पी.आई.बी.ओ.), रिसाइक्लर्स और निर्माताओं तो एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 अधीन पंजीकरण हेतु और जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्रचालन की सहमति हेतु डी.पी.सी.सी. की वेबसाइट: **http://dpcc.delhigovt.nic.in** में ऑनलाईन आवेदन करें। उपरोक्त के अलावा, **दि. 31 अगस्त, 2021** तक ऐसा न करने की दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसमें इकाई को बंद करना, उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार बिजली/पानी आपूर्ति के कनेक्शनों को काटने के साथ में पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली करना भी शामिल है। इसके अलावा, ऐसी इकाइयां जो पहले से पी.डब्ल्यू.एम. नियमों, 2018 के तहत पंजीकरण प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से बचने हेतु पर्याप्त अग्रिम में उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन भी करना होगा। वे पीआईबीओ जिन्होंने अभी तक पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है को सूचित किया जाता है कि वे सी.पी.सी.बी. (उनके लिए जो दो से अधिक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रचालित हैं) को पंजीकरण हेतु सम्पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा डी.पी.सी.सी. को पंजीकरण हेतु आवदनों को प्रस्तुत करना होगा।

सदस्य सचिव

NewDelhi

Hindustan - 22/08/2021